20/1/2025
वकील उभयपक्ष हाजिर/एस.डी.एम. सा. दौरे पर/दीगर कार्य/अवकाश पर है। पत्रावली वास्ते ~~तलबी~~ दिनांक 14/2/25 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

14.2.2025
वकील उभयपक्ष हाजिर/एस.डी.एम. सा. दौरे पर/दीगर कार्य/अवकाश पर है। पत्रावली वास्ते ~~तलबी~~ दिनांक 27/2/25 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

27/2/2025
वकील उभयपक्ष हाजिर/एस.डी.एम. सा. दौरे पर/दीगर कार्य/अवकाश पर है। पत्रावली वास्ते ~~तलबी~~ दिनांक 18/3/25 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

18/3/2025
वकील उभयपक्ष हाजिर/एस.डी.एम. सा. दौरे पर/दीगर कार्य/अवकाश पर है। पत्रावली वास्ते ~~तलबी~~ दिनांक 25/3/25 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

25/3/2025
वकील उभयपक्ष हाजिर/एस.डी.एम. सा. दौरे पर/दीगर कार्य/अवकाश पर है। पत्रावली वास्ते ~~तलबी~~ दिनांक 8/4/2025 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

8/4/2025 ~~वकील अपीलान्ट चाचा~~ हाजिर होकर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3,4 के तामील रिपोर्ट मे बार-बार पाने पर वापस होकर आती है। साथ ही अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अपील मे पक्षकार माननीय रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को ~~गया~~ की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 सरकारी कर्मचारी होने से बावजूद बार-बार तामील करने के तामील नहीं की जाती है अतएव ~~अपीलीय~~ अपीलार्थी की पाती है। अतः माननीय रेस्पोडेन्ट संख्या 3,4

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ

30/4/2025
वकील उभयपक्ष हाजिर/एस.डी.एम. सा. दौरे पर/दीगर कार्य/अवकाश पर है। पत्रावली वास्ते ~~तलबी~~ दिनांक 8/5/25 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ

A/3

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

App-A
Crm-I

अदालत ———— मुकाम ————

बनाम ———— मिल्स

मुकदमा ———— नं. 01 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
	~~रूप से है~~ जिसकी तामील हो गई है। अतः उक्त के विषय एक रजा नामिनी की पावर अदालत हेतु निवेदन किया। हमने पक्षकारों का अवलोकन किया रेस्पोडेन्ट क्रमांक 01 व वादग्रस्त सूचना के संबंध में। बार बार मौका लगाई गई। बावजूद कभी रजा नामा कार्यवाही में चली है। रेस्पोडेन्ट क्रमांक 3,4 की तामील नियमानुसार से बार बार होने पर भी मिलना भी नियमित नहीं है। पक्षकारों अवलोकन से सहमत अपील व धारा 5 विपक्ष अभिनिर्णय पर संदेह सूचना पाना आवश्यक है उचित प्रतीत होता है। सहमत अपील व धारा 5 विपक्ष अभिनिर्णय से झूठी जाती। संक्षिप्त में विषय इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट क्रमांक 01 से मौका मुआयना के संबंध क्रमांक 3/9 में रेस्पोडेन्ट के 2/3 हिस्सा को दो कलम-क्रमांक खरीदने विक्रय पत्र के पक्षों 4 व 1/3 हिस्सा क्रय किया। उक्त दोनों पक्षीय हस्ताक्षर माननीय न्यायालय मुआयना के समक्ष साक्ष्य लिये जिसमें से एक विक्रय पत्र का इन्तकाल अपीलान्ट के 4 व 1/3 हिस्से से पक्ष रखी किया गया। व इसके विक्रय पत्रों का इन्तकाल दिनांक 5.10.2023 को कोर्ट ने अस्वीकृत करने से इंतकाल 2621 को अस्वीकृत किया गया। उक्त को सरकारी अपीलान्ट को दिनांक 10.11.2024	

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला चित्तौड़गढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	

को नकल लेने से प्राप्त हुई। उक्त के तहत मे आवा 5 दिवस अपीलनपत्र का प्रत्यावेदन पत्र प्रस्तुत किया है। इसमे सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया तथ्यों पर मनन किया। अतः अपील अपीलान्ट 5 आवा 5 दिवस अपीलनपत्र का प्रत्यावेदन पत्र स्वीकार किया जाता ग्राम पंचायत मुंगाना के आ0 प0 2621 दिनांक 5.10.2023 को निरस्त किया जाकर मय आदेश किया जाता है कि मौजा मुंगाना प0 ह0 मुंगाना तहसील कपासन के आ0 प0 629, 630, 631, 632 रकबा कीता 04 बीघा रकबा 2.25 हेक्टर मे रेस्पोडेन्ट खेमा 01 मिलू देवी पत्नी दिनेश चन्द्र पाटीदार होली मा. कोलपुरा के 1/3 हिस्से को अपीलान्ट प्रभावित पत्नी मुकेश 1/3 पाटीदार हरिमन जा. हरिमन बाली देवी तहसील रेलमगरा पिता राधाकृष्ण के नाम दर्ज किये जाने का आदेश किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल हो। पत्रावली रेकर्ड शुमार होकर दफ्तर मे रू. दी। आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़